SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

लघु वनोपज संग्रहण एवं वन संरक्षण योजनाओं का जशपुर जिले में प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुमोना भट्टाचार्य, पी.एच.डी., **प्रेम प्रकाश कुजूर,** शोधार्थी, वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन विभाग
अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सुमोना भट्टाचार्य, पी.एच.डी.
प्रेम प्रकाश कुजूर, शोधार्थी
E-mail : drsumona.abvv@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 12/07/2025
Revised on : 11/09/2025
Accepted on : 20/09/2025
Overall Similarity : 01% on 12/09/2025

शोध सार

लघु वनोपज संग्रहण और वन संरक्षण योजनाओं का जशपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन इस शोध का मुख्य उद्देश्य है। यह शोध जशपुर जिले में लघु वनोपज संग्रहण की प्रक्रिया, विपणन और संरक्षण योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग कर, यह अध्ययन स्थानीय समुदायों की जागरूकता और भागीदारी का मूल्यांकन किया गया है। नमूना आकार 200 उत्तरदाताओं का चयन साधारण रैंडम नमूनाकरण द्वारा किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि योजनाओं की जानकारी और शिक्षा स्तर के बीच सकारात्मक संबंध है।

मुख्य शब्द

लघु वनोपज, वन संरक्षण, जशपुर जिला, सामाजिक –आर्थिक विकास, जागरूकता, विपणन.

प्रस्तावना

जशपुर जिला, छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र, अपनी समृद्ध वन संपदा और लघु वनोपज जैसे तेंदू पत्ता, महुआ, साल बीज, और लाख के लिए प्रसिद्ध है। ये वनोपज स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासी समुदायों, की आजीविका का आधार हैं। भारत में लघु वनोपज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो लगभग 275 मिलियन लोगों को आय और पोषण प्रदान करते हैं (कुमार, एट. आल,2024)। जशपुर जिले में वन कवर 42. 62 प्रतिशत है, जो जैव विविधता और लघु वनोपज की उपलब्धता को दर्शाता है (कल्पवृक्ष, 1998)। हालांकि, वन क्षरण, जलवायु परिवर्तन, और बाजार तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां इन संसाधनों के सतत् उपयोग को प्रभावित करती हैं।

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जैसे वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, लघु वनोपज के संग्रहण और विपणन को बढ़ावा देती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ ने 2022–23 में 46,857 मीट्रिक टन वनोपज की खरीद की, जिससे 106.53 करोड़ रुपये की आय हुई (ट्राई फीड, 2023)। यह आंकड़ा योजनाओं की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 और छत्तीसगढ़ की NTFP नीति 2007 सामुदायिक प्रबंधन और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि, इन योजनाओं का प्रभाव स्थानीय स्तर पर जागरूकता, प्रशिक्षण, और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करता है (गुप्ता और राठौर, 2023)।

जशपुर में लघु वनोपज संग्रहण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। (मिश्रा 2015) के अनुसार, आदिवासी क्षेत्रों में 60–70 प्रतिशत संग्रहण कार्य महिलाएं करती हैं, लेकिन उनकी बाजार पहुंच और निर्णय लेने की शक्ति सीमित है। लाख उत्पादन जशपुर की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, जहां वार्षिक 4000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, जो ग्रामीण आय में योगदान देता है (सिंह एवं पांडे, 2018)। फिर भी, बिचौलियों की उपस्थिति और विपणन की कमी से संग्राहकों को उचित मूल्य नहीं मिलता। (ग्रासरूट्स इंस्टीट्यूट 2005) ने बताया कि सहकारी प्रणालियों में भ्रष्टाचार और महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व योजनाओं की प्रभावशीलता को कम करता है।

यह शोध जशपुर जिले में लघु वनोपज संग्रहण की प्रक्रिया, वन संरक्षण योजनाओं की प्रभावशीलता, और स्थानीय समुदायों की जागरूकता का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक कारकों और योजनाओं के बीच संबंध को समझना और नीति निर्माण के लिए सुझाव देना है। यह अध्ययन विशेष रूप से शिक्षा स्तर, आयु, और जाति जैसे कारकों के प्रभाव को जांचता है। उदाहरण के लिए (शर्मा, और वर्मा 2021) ने पाया कि शिक्षा और डिजिटल विपणन जागरूकता को बढ़ाते हैं, जो जशपुर के संदर्भ में प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन और वन क्षरण जैसे पर्यावरणीय कारक लघु वनोपज की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, जिसे (कुमार, एट. अल. 2024) ने अपने अध्ययन में उजागर किया।

साहित्य समीक्षा

बैजाज और मंजुअल (1998) लघु वनोपज प्रमाणीकरण पर उनका अध्ययन FSC और PEFC मानकों की भूमिका को दर्शाता है। प्रमाणीकरण सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान की कमी बाधा है। यह ग्रामीण विकास में प्रमाणीकरण की भूमिका को रेखांकित करता है।

कल्पवक्ष (1998) जशपुर में जैव विविधता संरक्षण पर उनका अध्ययन बताता है कि वन कवर 42.62 प्रतिशत है, और 20 प्रतिशत आय वनोपज से आती है। तेंदू पत्ता और साल बीज प्रमुख हैं। गांव संसाधन पुस्तकें और सहकारी समितियां संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।

टिकटिन (2004) लघु वनोपज के पारिस्थितिक प्रभाव पर उनका अध्ययन बताता है कि अत्यधिक संग्रहण जैव विविधता को प्रभावित करता है। सतत संग्रहण प्रथाओं की आवश्यकता है।

शांककर (2005) भारत में लघु वनोपज और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर उनका अध्ययन बताता है कि ये संसाधन गरीबी उन्मूलन में सहायक हैं। नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

सिरी (2005) वन आग और लघु वनोपज पर उनके अध्ययन में पाया गया कि आग से उत्पादकता प्रभावित होती है। सतत् प्रबंधन और संरक्षण नीतियों की आवश्यकता को उजागर किया गया।

तेजस्वी (2008) लघु वनोपज की खाद्य और आजीविका सुरक्षा में भूमिका पर उनका अध्ययन बताता है कि ये संसाधन ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, प्रबंधन और विपणन में सुधार की आवश्यकता है।

शर्मा (2015) मध्य भारत में लघु वनोपज के व्यापार पर उनका अध्ययन बाजारों में उनकी मांग को दर्शाता है। तेंदू और महुआ की मांग अधिक है, लेकिन बिचौलियों का प्रभाव आय को कम करता है। सहकारी प्रणालियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया।

सिंह और पांडे (2018) छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की आपूर्ति श्रृंखला पर उनके शोध में बिचौलियों की

भूमिका और बाजार तक सीमित पहुंच को उजागर किया गया। बिचौलियों द्वारा 40–50 प्रतिशत लाभ लिया जाता है, जिससे संग्राहकों को कम आय मिलती है। सहकारी संघों को मजबूत करने का सुझाव दिया गया।

शर्मा और वर्मा (2021) ग्रामीण भारत में सामुदायिक सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली पर उनका अध्ययन बताता है कि सेवा केंद्रों लघु वनोपज के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे आय में 20–30 प्रतिशत वृद्धि हुई। हालांकि, प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी ने प्रभाव को सीमित किया। यह जशपुर में डिजिटल विपणन की संभावनाओं को दर्शाता है।

चौंबरलेन (2023) लघु वनोपज की आजीविका में योगदान पर उनका अध्ययन बताता है कि ये संसाधन ग्रामीण आय का 20–30 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह आर्थिक महत्व को दर्शाता है।

गुप्ता और राठौर (2023) वन–धन योजना के प्रभाव का उनका अध्ययन बताता है कि यह आदिवासी समुदायों की आजीविका में सुधार करती है, लेकिन प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की कमी बाधक है। 30 प्रतिशत आय वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कम थी। मूल्य संवर्धन इकाइयों की स्थापना का सुझाव दिया गया।

मिश्रा और सिंह (2023) मध्य भारत में लघु वन लकड़ी प्रजातियों पर उनका अध्ययन साल, तेंदू, और महुआ की विविधता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में 78.22 लाख आदिवासी इन पर निर्भर हैं। वन–धन योजना संरक्षण को बढ़ावा देती है, लेकिन विविधता में कमी चिंता का विषय है। यह जैव विविधता संरक्षण के महत्व को उजागर करता है।

ओपियो एट अल. (2023) लघु वनोपज की गरीबी उन्मूलन में क्षमता पर उनका अध्ययन बताता है कि 19–78 प्रतिशत आय वृद्धि संभव है। भारत में औषधीय पौधों का योगदान 19–32 प्रतिशत है। बाजार पहुंच और नीतियां महत्वपूर्ण हैं। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

कुमार एट अल. (2024) छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के सामाजिक–आर्थिक महत्व पर उनका शोध बताता है कि 275 मिलियन लोग इन संसाधनों पर निर्भर हैं। महुआ और तेंदू पत्ता प्रमुख हैं, जिनसे 277.90 किग्रा प्रति परिवार आय होती है। जलवायु परिवर्तन और वन क्षरण चुनौतियां हैं।

अनुसंधान के उद्देश्य

1. जशपुर जिले में लघु वनोपज संग्रहण की प्रक्रिया और इसके सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना।
2. वन संरक्षण योजनाओं की प्रभावशीलता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी का मूल्यांकन करना।
3. योजनाओं के प्रति जागरूकता और शिक्षा स्तर के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
4. नीति निर्माण के लिए प्रभावी सुझाव प्रदान करना।

अनुसंधान की परिकल्पनाएँ

H_1: शिक्षा स्तर और लघु वनोपज योजनाओं की जागरूकता के बीच सकारात्मक संबंध है।

H_{01}: आयु वर्ग और वन संरक्षण योजनाओं में भागीदारी के बीच कोई संबंध नहीं है।

H_2: लघु वनोपज के विपणन की जानकारी और आय स्तर के बीच सकारात्मक संबंध है।

H_{02}: जाति श्रेणी और योजनाओं की जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं है।

अनुसंधान की क्रियाविधि

यह शोध जशपुर जिले में लघु वनोपज संग्रहण और वन संरक्षण योजनाओं के प्रभाव का एक वर्णनात्मक अध्ययन है, जिसमें मिश्रित विधि दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें 200 ग्रामीण और आदिवासी उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें साधारण रैंडम नमूनाकरण विधि से 10 चयनित गाँवों से चुना गया है। प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसकी विश्वसनीयता को क्रोनबैच अल्फा (0.85) से मान्य किया गया। इस प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसके साथ ही, द्वितीयक

डेटा सरकारी रिपोर्टों (जैसे CGMFPFED रिपोर्ट्स), पत्रिकाओं और अन्य शोध पत्रों से प्राप्त किया गया। डेटा विश्लेषण के लिए ै सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया, जिसमें काई वर्गपरिक्षण और सहसंबंध विश्लेषण जैसी सांख्यिकीय तकनीकों से परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।

सीमाएँ

यह अध्ययन केवल जशपुर जिले तक सीमित है, इसलिए परिणामों को अन्य क्षेत्रों पर सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। नमूना आकार (200) छोटा है, जो परिणामों की व्यापकता को प्रभावित कर सकता है। प्राथमिक डेटा संग्रह में आत्म–रिपोर्टिंग की सीमाएँ भी हैं।

परिणाम और विश्लेषण

तालिका 1: जनसांख्यिकीय विश्लेषण

विशेषता	**प्रतिशत**	**विशेषता**	**प्रतिशत**
आयु		**जाति**	
21–35 वर्ष	40%	अनुसूचित जनजाति	60%
36–45 वर्ष	30%	अनुसूचित जाति	15%
46–55 वर्ष	20%	अन्य पिछड़ा वर्ग	20%
56 वर्ष से अधिक	10%	सामान्य वर्ग	05%
लिंग		**शिक्षा**	
पुरुष	60%	निरक्षर	20%
महिला	40%	प्राथमिक	30%
व्यवसाय		माध्यमिक	25%
कृषि	50%	हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी	15%
सामान्य व्यवसाय	20%	स्नातक / स्नातकोत्तर	10%
लघु उद्योग	10%	**परिवार संरचना**	
कुटीर उद्योग	10%	संयुक्त परिवार	70%
मजदूरी	10%	एकल परिवार	30%

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

जनसांख्यिकीय डेटा से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता (40%) 21–35 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो युवा आबादी की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। पुरुष (60%) की तुलना में महिला (40%) की भागीदारी कम है, जो लैंगिक असमानता की ओर इशारा करता है। व्यवसाय में कृषि (50%) प्रमुख है, जो जशपुर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अनुसूचित जनजाति (60%) का प्रभुत्व आदिवासी क्षेत्र की विशेषता है। शिक्षा स्तर में निरक्षरता (20%) और प्राथमिक शिक्षा (30%) का उच्च प्रतिशत योजनाओं की जागरूकता में कमी का कारण हो सकता है। संयुक्त परिवार (70%) की अधिकता सामुदायिक सहयोग को दर्शाती है।

वनोपज और योजनाओं की जानकारी

जानकारी का स्तर	विपणन (%)	योजनाएँ (%)
पूर्ण जानकारी	15%	10%
आंशिक जानकारी	25%	20%
केवल नाम सुना	30%	35%
थोड़ी जानकारी	20%	25%
कोई जानकारी नहीं	10%	10%

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

वनोपज विपणन और योजनाओं की जानकारी के आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल 15% और 10% उत्तरदाताओं को क्रमशः विपणन और योजनाओं की पूर्ण जानकारी है। अधिकांश उत्तरदाताओं (30%–35%) ने केवल योजनाओं का नाम सुना है, जो जागरूकता अभियानों की अपर्याप्तता को दर्शाता है। प्रा आंशिक जानकारी (20%-25%) वाले उत्तरदाता सीमित प्रशिक्षण की ओर इशारा करते हैं। कोई जानकारी नहीं (10%) का प्रतिशत शिक्षा और पहुंच की कमी को उजागर करता है। यह स्थिति नीति निर्माताओं के लिए जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

परिकल्पना विश्लेषण

परिकल्पना 1: शिक्षा स्तर और योजनाओं की जागरूकता के बीच सकारात्मक संबंध है।

तालिका 2: काई–वर्ग परीक्षण

चर	काई वर्गमूल्य	p–मूल्य
शिक्षा स्तर और जागरूकता	12.45	0.014

काई वर्गपरिक्षण ($\chi^2 = 12.45$, $p = 0.014$) से पता चलता है कि शिक्षा स्तर और योजनाओं की जागरूकता के बीच सकारात्मक संबंध है। स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तरदाताओं में जागरूकता का स्तर (80%) निरक्षर (20%) की तुलना में अधिक था। यह परिणाम गुप्ता और राठौर (2023) के अध्ययन से मेल खाता है, जिसमें शिक्षा को योजनाओं की समझ का प्रमुख कारक बताया गया। शिक्षा का उच्च स्तर सूचना तक पहुंच और समझ को बढ़ाता है। यह नीति निर्माताओं के लिए शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

परिकल्पना 01: आयु वर्ग और योजनाओं में भागीदारी के बीच कोई संबंध नहीं है।

तालिका 3: काई–वर्ग परीक्षण

चर	काई वर्ग मूल्य	p–मूल्य
आयु और भागीदारी	3.25	0.355

काई वर्ग परिक्षण ($\chi^2 = 3.25$, $p = 0.355$) से पता चलता है कि आयु वर्ग और योजनाओं में भागीदारी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। सभी आयु वर्गों (21–35, 36–45, 46–55, 56 से अधिक) में भागीदारी का स्तर समान था। यह परिणाम सिंह और पांडे (2018) के अध्ययन से मेल खाता है, जिसमें आयु को भागीदारी का प्रमुख कारक नहीं पाया गया। यह नीति निर्माताओं को सभी आयु समूहों के लिए समान अवसर प्रदान करने की सलाह देता है।

परिकल्पना 2: लघु वनोपज के विपणन की जानकारी और आय स्तर के बीच सकारात्मक संबंध है।

तालिका 4: काई–वर्ग परीक्षण

परीक्षण	मान	स्वतंत्रता की डिग्री (df)	प्रासंगिकता स्तर (p–मूल्य)
पियर्सन काई–वर्ग	14.72	4	0.005
लाइकलीहुड अनुपात	15.08	4	0.004
रैखिक–दर–रैखिक संबद्धता	6.11	1	0.013
मान्य मामलों की संख्या	200		

$\chi^2 = 14.72$, $df = 4$ और $p = 0.005$ प्राप्त हुआ, जो 0.05 से कम है। इसका अर्थ है कि विपणन की जानकारी और उत्तरदाताओं की आय स्तर के बीच महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध मौजूद है। विपणन ज्ञान बढ़ने से आय का स्तर भी बेहतर हुआ है। अतः H_3 स्वीकार की जाती है।

परिकल्पना 02: जाति श्रेणी और योजनाओं की जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं है।

तालिका 5: काई–वर्ग परीक्षण

परीक्षण	मान	स्वतंत्रता की डिग्री (df)	प्रासंगिकता स्तर (p–मूल्य)
पियर्सन काई–वर्ग	5.89	6	0.435
लाइकलीहुड अनुपात	6.02	6	0.421
रैखिक–दर–रैखिक संबद्धता	0.84	1	0.358
मान्य मामलों की संख्या	200		

$\chi^2 = 5.89$, $df = 6$ और $p = 0.435$ प्राप्त हुआ, जो 0.05 से अधिक है। इसका अर्थ है कि जाति श्रेणी और योजनाओं की जानकारी के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। योजनाओं की जानकारी सभी जातियों में लगभग समान पाई गई। अतः H_4 को भी समर्थन मिलता है।

निष्कर्ष

यह अध्ययन जशपुर जिले में लघु वनोपज संग्रहण और वन संरक्षण योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। परिणामों से पता चलता है कि शिक्षा स्तर जागरूकता को प्रभावित करता है, जैसा कि गुप्ता और राठौर (2023) ने भी बताया। हालांकि, आयु और भागीदारी के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया, जो सिंह और पांडे (2018) के निष्कर्षों से मेल खाता है। योजनाओं की जानकारी का निम्न स्तर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नीति निर्माताओं को शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। यह शोध स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाने के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, ए. और वर्मा, एस. (2021) ग्रामीण भारत में सामुदायिक सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली, *जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट,* 45(3), 123–135.
2. सिंह, आर. और पांडे, के. (2018) छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की आपूर्ति श्रृंखला, *इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेस्ट्री,* 41(2), 89–102.
3. गुप्ता, पी. और राठौर, एम. (2023) वन धन योजना का प्रभावः एक मूल्यांकन, *जर्नल ऑफ ट्राइबल स्टडीज,* 50(4), 200–215.
4. कुमार, ए.; शर्मा, वी. और गुप्ता, एस. (2024) छत्तीसगढ़, भारत में ग्रामीण समुदायों की आजीविका के लिए गैर–लकड़ी वन उत्पादों की संभावनाओं का अन्वेषण, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज,* 12(1), 77–92.
5. मिश्रा, एम. और सिंह, आर. (2023) मध्य भारत में लघु वन लकड़ी प्रजातियों के सामाजिक–आर्थिक महत्व और विविधता का अन्वेषण, रिसर्चगेट प्रकाशन, *जर्नल ऑफ सोशल एंड इकॉनॉमिक फॉरेस्ट्री,* 9(3), 145–160.
6. ग्रासरूट्स इंस्टीट्यूट (2005) *उत्तर छत्तीसगढ़ में गैर–लकड़ी वन उत्पाद और आदिवासी आजीविका,* ग्रासरूट्स ऑकेजनल पेपर, ग्रासरूट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिलासपुर।
7. कल्पवृक्ष (1998) *जैव–विविधता संरक्षण (जिला–जशपुर),* कल्पवृक्ष प्रकाशन, नागपुर आईएसबीएन 81–86745–12–3।
8. ओपियो, सी.; जॉनसन, के. और मेयर, डी. (2023) गैर–लकड़ी वन उत्पादों की गरीबी उन्मूलन में संभावना की समीक्षा, रिसर्चगेट प्रकाशन, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, 152, 102993, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102993

9. बजाज, एम. और मंजुअल (1998) *भारत में गैर–लकड़ी वन उत्पाद प्रमाणीकरणः अवसर और चुनौतियाँ,* एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, 1(2), 101–120, https://doi.org/10.1023/A:1010053125807

10. शर्मा, आर. के. (2015) मध्य भारत के ग्रामीण बाजारों में लघु वन उत्पादों का व्यापार, रिसर्च ट्रेंड, *बायोलॉजिकल फोरम–एन इंटरनेशनल जर्नल,* 7(2), 516–521, आईएसएसएन 0975–1130।

11. तेजस्वी, पी. बी. (2008) *खाद्य और आजीविका सुरक्षा के लिए गैर–लकड़ी वन उत्पाद,* एजकॉन सर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, आईएसबीएन 978–81–904564–2–7।

12. सिरी, जे. पी. (2005) वन आग और गैर–लकड़ी वन उत्पादः प्रभावों का आकलन, *जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट,* 8(2), 88–97।

13. टिकटिन, टी. (2004) गैर–लकड़ी वन उत्पादों की कटाई के पारिस्थितिक प्रभाव, *जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी,* 41(1), 11–21. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2004.00859.x

14. शंकर, आर. यू. (2005) भारतः गैर–लकड़ी वन उत्पादों के माध्यम से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति, *इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिव्यू,* 15(3), 201–212. https://doi.org/10.1505/ifor.15.3.201.

15. 15. चेम्बरलिन, जे. एल., एमरी, एम. आर., एवं पटेल–वेयनैण्ड, टी. (2018) संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर–लकड़ी वन उत्पाद. चाम, स्प्रिंगर, आईएसबीएन 978–3–319–75115–4।

****